



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान व्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी०१० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-४९२००५ (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-०७७१-२२८२५३०, २२८५५९० ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र
रजि. एडी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्र०- छ०ग०/जांजगीर-चांपा/ चू०प०-०३/रायपुर

38 छ०ग० ०६००२

दिनांक:- १७/१०/२०१९

प्रति,

श्री संजय कुमार त्यागी, वाईस प्रेसीडेंट एवं खान ऐंजेंट,
सर्वश्री नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
(पूर्व में लाफार्ज इंडिया लिमिटेड),
अरसमेटा सीमेंट प्लांट,
पोस्ट- गोपाल नगर, तहसील- अकलतरा,
जिला- जांजगीर - चांपा, पिन कोड- ४९५ ६६३ (छत्तीसगढ़)।

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर-चांपा जिले में स्थित आपकी अरसमेटा चूनापत्थर खदान ४६.२९२ हेक्टेएर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक २०/०९/२०१९ को श्री रीतेश कैमल, हेड (मार्झिन्स) एवं श्री राजेश कुमार राठौर, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है :-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत व्यौरा
Rule 46	Notice of Certain Appointment: Appointment notice of Nominated Owner and Manager (Mines) has not been sent in the prescribed format to the authorized officer within fifteen days from the date of such appointments.
Rule 55	Full-time Mining Engineer and a Geologist are not been appointed.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के नियम ६२ के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के अंतर्गत:-
(क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपराक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से ४५ दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान व्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ हेतु :-

- खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान व्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)-४४०००१
- संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान व्यूरो, रायपुर